स्वच्छता और पवित्रता ही वर्तमान की प्राथमिकता

स्वच्छता के सहयोगियों का सम्मान करते हुए नगर निगमकर्मी। •नईदुनिया

रतलाम। कोई एक व्यक्ति पूरे शहर को साफ नहीं कर सकता है, इसलिए हम सबको मिलकर ही अपने आसपास की सफाई करनी होगी। हमें चाहिए कि शहरवासी विशेषकर व्यापारी बंधु खुले में कूड़ा-करकट न फेंके। नगर निगम ने भी जगह-जगह पर कूड़ेदान लगवाए हैं, ताकि लोग सड़क पर कचरा-गंदगी नहीं फेंके और घर-दुकानों का गीला व सूखा कचरा संग्रहण वाहन में ही डालें। ऐसा खुद भी करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें।

यह बात नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने कही। स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 के परिणामों के बाद संचालनालय नगरीय प्रशासन व विकास के निर्देश पर आयोजित धन्यवाद मध्यप्रदेश अभियान के तहत शनिवार को शहर के चारों जोन अनेक वार्डों में स्थित दुकानों पर जाकर उन व्यापारीबंधुओं का सम्मान किया गया, जो अपने दुकान-प्रतिष्ठानों का कचरा अलग-अलग डस्टबिनों में एकत्र कर इसका निपटान कचरा संग्रहण वाहन के अलग-अलग खानों में ही करते हैं।

निगमकर्मियों और सफाई मित्र समूह की टीम ने व्यापारियों का स्वागत तिलक लगाकर किया गया। इसके बाद फूलमालाओं के साथ मिठाई व प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया। उपायुक्त विकास सोलंकी, स्वास्थ्य अधिकारी जीके जायसवाल, जोन प्रभारी एपी सिंह, किरण चौहान, पर्वत हाडे, विनय चौहान, विराट मेहरा, मोनिका चौहान, सफाई मित्र समूह के सदस्य आदि उपस्थित रहे। नई.

नईदुनिया 5/12/21

प्रैक्टिस पर रोक

सज्जन क्लब के खिलाड़ियों को नहीं खेलने दे रहा निगम

भास्कर संवाददाता | रतलाम

रतलाम के महाराजा सज्जनसिंह के नाम पर संचालित सज्जन क्लब मुसीबत में आ गया है। क्लब को नगर निगम नेहरू स्टेडियम में प्रेक्टिस नहीं करने दे रहा है। शनिवार को जब क्लब के खिलाड़ी प्रेक्टिस करने पहुंचे, तो निगम इंजीनियर राजेंद्र मिश्रा ने अमले के साथ पहुंचकर सामग्री जब्त कर ली, जबकि, इसी स्टेडियम में अन्य क्लब संचालित हो रहे हैं। इधर, पदाधिकारियों ने राजनीतिक दबाव के कारण निगम की कार्रवाई का आरोप लगाया है।

शनिवार को नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और क्लब का सामान जब्त कर लिया। इस दौरान क्लब से जुड़े लोग निगम अमले से बहस करते रहे, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। पदाधिकारी राजनीतिक दबाव का आरोप भी लगाते रहे। क्लब के कोच अजय मालाकार और दिग्विजयसिंह राठौर ने बताया सज्जन क्लब के पास जिला एसोसिएशन क्रिकेट संघ की मान्यता है। वर्तमान में क्लब के पास 50 से 60 लड़के भी है। फरवरी महीने में ही नगर निगम को अनुमति के लिए आवेदन दे रखा है, जबकि, आने वाले समय में टूर्नामेंट होने है, खिलाड़ियों को प्रैक्टिस की जरूरत है। भास्कर

दै. भास्कर 5/12/21

नवम्बर के शेष हितग्राहियों को 5 दिसम्बर तक मिलेगा राशन

रतलाम। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि माह नवम्बर में जिन हितग्राहियों द्वारा 30 नवम्बर तक अपनी हकदारी का मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का राशन शासकीय उचित मूल्य दुकान से प्राप्त नहीं किया गया है वे अपना राशन 5 दिसम्बर तक संबंधित उचित मूल्य दुकान से प्राप्त कर सकते हैं। यदि 5 दिसम्बर तक वे राशन प्राप्त नहीं करते हैं तो उनकी पात्रता समाप्त हो जाएगी।

राशन प्राप्त करने में कठिनाई उत्पन्न होने पर जिला स्तरीय पीडीएस नियंत्रण कक्ष के दूरभाष क्रमांक 07412-270414 पर सम्पर्क किया जा सकता है। सिंघम-4

नए वेरिएंट ओमीकान के संक्रमण की दिन-प्रतिदिन गंभीर हो रही स्थिति के चलते रतलाम में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

सिंघम रिपोर्टर ❑ रतलाम

जिले में कोरोना के नए वेरिएंट ओमीकान के संक्रमण की दिन-प्रतिदिन गंभीर हो रही स्थिति के मद्देनजर संक्रमण की रोकथाम के लिए अनुविभागीय अधिकारी अभिषेक गेहलोत द्वारा रतलाम अनुभाग क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।

जारी आदेश के अनुसार शहर में स्थित दुकानों, प्रतिष्ठानों के बाहर, उनमें कार्य करने वाले कर्मचारियों की सूची लगाना तथा सभी कर्मचारियों, सार्वजनिक परिवहनों के माध्यमों बस, आटो, मैजिक आदि में यात्रा हेतु, फल, सब्जी तथा अन्य खेरची विक्रेताओं तथा फेरी वालों के लिए कोविड वेक्सीनेसन के सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट तथा मोबाइल पर फोटो रखना अनिवार्य होगा।

इसी तरह सिनेमाघरों, माल, जिम्नेशियम, कोचिंग संस्थानों आदि में प्रवेश, मैरिज गार्डन, धर्मशाला, रेस्टोरेंट, निजी परिवहन के माध्यम जैसे टू व्हीलर, फोर व्हीलर को चलाने अथवा बैठने हेतु एवं शासकीय एवं निजी कार्यालयों, बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं में प्रवेश हेतु कोविड वेक्सीनेशन के सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट तथा मोबाइल पर फोटो रखना अनिवार्य होगा। उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर भा.द.सं. की धारा 1860 की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।

सिंघम - 5/12/21

वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट रखना अनिवार्य

रतलाम ● जिले में कोरोना के नए वैरिएंट ओमिकॉन के संक्रमण की दिन-प्रतिदिन गंभीर हो रही स्थिति के मद्देनजर संक्रमण की रोकथाम के लिए अनुविभागीय अधिकारी अभिषेक गेहलोत द्वारा रतलाम अनुभाग क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार शहर में स्थित दुकानों, प्रतिष्ठानों के बाहर, उनमें कार्य करने वाले कर्मचारियों की सूची लगाना तथा सभी कर्मचारियों, सार्वजनिक परिवहनों के माध्यमों बस, ऑटो, मैजिक आदि में यात्रा हेतु फल, सब्जी तथा अन्य खेरची विक्रेताओं तथा फेरीवालों के लिए कोविड वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट तथा मोबाइल पर फोटो रखना अनिवार्य होगा। इसी तरह सिनेमाघरों, माल, जिम्नेशियम, कोचिंग संस्थानों आदि में प्रवेश, मैरिज गार्डन, धर्मशाला, रेस्टोरेंट, निजी परिवहन के माध्यम जैसे टू व्हीलर एवं शासकीय एवं निजी कार्यालयों, में प्रवेश हेतु कोविड वेक्सीनेशन के सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट तथा मोबाइल पर फोटो रखना अनिवार्य होगा।

स्वदेश

वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जरूरी

रतलाम, नप्र। जिले में कोरोना के नए वेरिएंट ओमीकान के संक्रमण की दिन प्रतिदिन गंभीर हो रही स्थिति के मद्देनजर संक्रमण की रोकथाम के लिए अनुविभागीय अधिकारी अभिषेक गेहलोत ने अनुभाग क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेश के अनुसार शहर में दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों की सूची लगाना तथा सभी कर्मचारियों, सार्वजनिक परिवहनों के माध्यमों बस, ऑटो मैजिक आदि में यात्रा के लिए फल, सब्जी तथा अन्य खेरची विक्रेताओं तथा फेरी वालों के लिए कोविड वेक्सीनेसन के सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट तथा मोबाइल पर फोटो रखना जरूरी होगा। इसी तरह सिनेमाघरों, माल, जिम्नेशियम, कोचिंग में प्रवेश, मैरिज गार्डन, धर्मशाला में प्रवेश के समय सर्टिफिकेट प्रिंट तथा मोबाइल पर रखना फोटो जरूरी होगा।

प्र.भा.

प्र.भा. ५/१२/२१

68 टन कचरा जुलवानिया ट्रेंचिंग ग्राउंड पहुंचाया

रतलाम। नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे, सड़कों व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन कर जुलवानिया ट्रेंचिंग ग्राउंड पर पहुंचाया जा रहा है। इसके तहत शनिवार को 68 टन कचरा जुलवानिया ट्रेंचिंग ग्राउंड पर पहुंचाया गया। डंपर से 14780, ट्रैक्टर-ट्राली से 14935, काम्पेक्टर सूखा कचरा 21190, काम्पेक्टर गीला कचरा 17885 कुल 68790 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेंचिंग ग्राउंड पहुंचाया गया।

मास्क नहीं लगाने पर वसूला जुर्माना

रतलाम। खुले में गंदगी करने पर ईश्वरलाल, वीरेंद्र सैलाना बस स्टैंड, स्वपनिल सोनी चौमुखी पुल, एजाज, भेरूलाल त्रिपोलिया गेट, रमेश, नीलेश बाजना बस स्टैंड से 100-100, पाटीदार पावर हाउस रोड व निखलेश त्रिपोलिया गेट से 50-50 रुपये जुर्माना वसूला गया। सभी को भविष्य में गंदगी नहीं करने की समझाइश भी दी गई। इसके अलावा नगर विभिन्न क्षेत्रों में बिना मास्क घूमने वाले 11 व्यक्तियों से 100-100 रुपये का स्पाट फाइन वसूलकर मास्क अनिवार्य रूप से लगाने की समझाइश दी गई।

5826 पेंशन हितग्राहियों का हुआ भौतिक सत्यापन

रतलाम । रतलाम शहर के सामाजिक सुरक्षा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन, राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन, सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, नि:शक्त पेंशन, मानसिक बहुविकलांग पेंशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों का शासन निर्देशानुसार भौतिक सत्यापन किया जा रहा है जिसके तहत 4 दिसम्बर शनिवार तक 5826 पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कर 58 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

खुले में गंदगी करने का 9 पर जुर्माना

रतलाम। नगर निगम द्वारा बनाए गए दलों द्वारा स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है। शनिवार को 9 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया। निगमायुक्त सोमनाथ झारिया के निदेशानुसार खुले में गंदगी करने पर ईश्वरलाल, विरेन्द्र सैलाना बस स्टैण्ड, स्वपनिल सोनी चौमुखी पुल, एजाज, भैरूलाल त्रिपोलिया गेट, रमेश, निलेश बाजना बस स्टैण्ड पर 100-100, पाटीदारजी पावर हाउस रोड व निखलेश त्रिपोलिया गेट पर 50-50 रूपये का स्पॉट फाईन किया। वहीं विभिन्न क्षेत्रों में बिना मास्क वाले 11 व्यक्तियों पर 100-100 रूपये का स्पॉट फाईन पर मास्क अनिवार्य रूप से लगाने की समझाईश दी गई।

5826 पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन

रतलाम। शहर के सामाजिक सुरक्षा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन, राष्ट्रीय निशक्त पेंशन, सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, निशक्त पेंशन, मानसिक बहुविकलांग पेंशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों का शासन के निर्देशानुसार भौतिक सत्यापन वार्ड दरोगा व नियुक्त कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर व वार्डवार बनाए गए केंद्रों पर किया जा रहा है। इसके तहत शनिवार को 5826 पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन किया गया। इस तरह अब तक 2544 पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन किया जा चुका है।

काम न आई करतूत • प्रशासन की कार्रवाई को रोकने के लिए भागवत का आयोजन, सिर्फ हवन ही हो पाया

हथकंडा भूमाफिया का कब्जा बचाने शुरू करा दी भागवत कथा

तिकड़म हुई बेअसर पंडाल छोड़ तोड़ा सारा अतिक्रमण

और अब

प्रशासन की टीम ने चंद घंटों में मुक्त कराई 8 करोड़ की 10800 वर्गफीट जमीन

भास्कर संवाददाता | रतलाम

सरकारी जमीन के अवैध कब्जे को बचाने भूमाफिया नए-नए हथकंडे आजमा रहे हैं। ऐसी ही नौटंकी शनिवार को छत्रीपुल के पास वाली जमीन को लेकर देखने को मिली। शनिवार को सरकारी अमले द्वारा अतिक्रमण हटाने की भनक लगते ही 16 साल से कब्जा जमाए बैठे भूमाफिया ने ताबड़तोड़ पंडाल लगाकर भागवत कथा शुरू करा दी। हवन के बाद पंडित मृदुलकृष्ण शास्त्री कथा शुरू करते इसके पहले ही नगर निगम, राजस्व व पुलिस का अमला जेसीबी व अन्य संसाधन लेकर कार्रवाई करने पहुंच गया। अफसरों ने भागवत पंडाल छोड़ 10800 वर्ग फीट में राइट सर्विसेस और जीएन ऑटोडील व सर्विस सेंटर द्वारा अतिक्रमण कर बनाए ऑफिस, बाउंड्रीवॉल, दुकान और गोदाम सहित सारा कच्चा-पक्का निर्माण तोड़ डाला।

कब्जेधारी सुरेंद्र जैन (ललवानी) और पंडितों ने कथा की आड़ लेकर विरोध करते हुए कार्रवाई रुकवानी चाही लेकिन अफसरों सख्ती के आगे एक नहीं चली। पांच घंटे की कार्रवाई में मौके से 8 करोड़ रुपए कीमत की 10800 वर्गफीट जमीन मुक्त कराकर नजूल भूमि का बोर्ड लगा दिया है। अगली बारी श्री कालिकामाता मंदिर की जमीन का अतिक्रमण हटाने की है। इसके लिए प्रशासन ने तीन अतिक्रमणकर्ताओं को नोटिस जारी कर दिए हैं। कार्रवाई के दौरान एसडीएम अभिषेक गेहलोत, तहसीलदार गोपाल सोनी, सीएसपी हेमंत चौहान, नायब तहसीलदार पूजा भाटी, आरआई मेहरबान सिंह मौजूद रहे।

राइट सर्विसेस और जीएन ऑटोडील ने कब्जा कर बना रखी थी बाउंड्रीवॉल, ऑफिस, दुकान और गोदाम

कथा पंडाल को छोड़कर आसपास का अतिक्रमण तोड़ता प्रशासनिक अमला।

किसने कैसे कर रखा था अतिक्रमण

राईट सर्विसेस - बड़ा गेट लगाकर ऊंची बाउंड्रीवाल और अंदर ऑफिस एरिया बना लिया था। कुछ अन्य कच्चा-पक्का निर्माण भी कर रखा था।

जीएन ऑटोडील - दरगाह को कवर करते हुए वाहन खरीदने-बेचने की दुकान और मोटर साइकिल खड़ी करने के लिए गोदाम भी बना लिया था।

कालिकामाता मंदिर की 0.250 बीघा जमीन कब्जा मुक्त कराएंगे

अगली बारी आनंद कॉलोनी रोड पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी ऑफिस के सामने वाली श्री कालिकामाता मंदिर की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की है। यहां कुछ लोगों ने सालों से 0.250 बीघा जमीन पर कब्जा करते हुए पक्के मकान और दुकानें बना दिए हैं। प्रशासन ने अतिक्रमणकर्ता रईस पिता रसूल, अख्तर पिता रसूल, अनीस पिता रसूल को नोटिस देकर 6 दिसंबर तक जवाब मांगा है। रईस ने 2400 वर्गफीट, अख्तर और अनीस ने 4950 वर्गफीट पर मकान, दुकानें और उनके पीछे कुछ कच्ची-पक्की झोपड़ियां बनी हुई हैं। इसे लेकर पहले भी शिकायत हुई थी लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाई।

सारे अतिक्रमण हटाएंगे

- *शनिवार को छत्रीपुल पर लगभग 8 करोड़ रुपए मूल्य की भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई है। सरकारी और धार्मिक स्थलों की जमीन का भी अतिक्रमण हटाएंगे।*
कुमार पुरुषोत्तम, कलेक्टर

- *1991 में जमीन अजित ललवानी को किराए पर दी थी। 2004-05 में वे लोहे का काम बंद कर इंदौर चले गए। उसके बाद से सुरेंद्र जैन (ललवानी) ने कब्जा कर लिया। उसे हटाने वक्फ बोर्ड भोपाल ने 2005 में ही आदेश दे दिए थे।*
सलाम रहमानी,
सदर-वक्फ मस्जिद मोचियान

- *शुक्रवार को ही कथा करवाने के लिए फोन आया था। कारण शनिश्चरी अमावस्या बताया था। सुबह 7 से 11 बजे तक हवन के बाद 12 बजे से कथा शुरू होना थी। स्थिति देखकर कथा नहीं की।*
पं. मृदुल कृष्ण शास्त्री,
कथा वाचक

कार्रवाई ● वक्फ बोर्ड के दस्तावेज नहीं होने पर लगाया नजूल का बोर्ड

छत्रीपुल नाले के पास शासकीय जमीन से कब्जा हटाया

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। शहर के छत्री पुल पर नाले के समीप शनिवार को नगर निगम, राजस्व, पुलिस के संयुक्त अमले द्वारा कार्रवाई करते हुए करीब 10800 वर्गफीट फीट भूमि मुक्त कराई गई। इसकी कीमत करीब आठ करोड़ रुपये है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि नगर निगम रतलाम द्वारा भूमि विभिन्न उपयोग के लिए मांगी गई है। कार्रवाई से पहले मौके पर भागवत कथा का आयोजन भी शुरू किया था, जिसके चलते कुछ देर रुकने के बाद जेसीबी से निर्माण तोड़ दिए गए। कार्रवाई के बाद पंचान मोचियान के द्वारा जमीन के संबंध में कोई ठोस दस्तावेज नहीं देने पर नजूल का बोर्ड लगाया गया।

मालूम हो कि तहसीलदार शहर गोपाल सोनी द्वारा एक दिसंबर को अजीत ललवानी पुत्र झमक ललवानी राइट सर्विस मजिस्द कंपाउंड छत्रीपुल को नोटिस जारी किया गया था। इसमें अध्यक्ष पंचान मोचियान वक्फ कदीमी कब्रिस्तान रतलाम द्वारा 30 नवंबर 2021 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिखे पत्र में मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल के प्रकरण 106/04 में 16 फरवरी 2005 को पारित आदेश में मस्जिद की भूमि खसरा नंबर 1310, 1311, 1312, 1313, 1314 एवं 1325 नया सर्वे नंबर 117 का रकबा 12 बीघा 9 बिस्वा के 8800 वर्गफीट पर कब्जा करने के कारण वक्फ एक्ट की धारा 54 के तहत बेदखली का हवाला देकर आदेश के पालन की मांग की गई। तहसीलदार ने नोटिस में तीन दिसंबर तक कब्जा हटाने का नोटिस दिया। कब्जा नहीं हटाने पर शनिवार सुबह भारी संख्या में पुलिस बल लगाकर जेसीबी की सहायता से निर्माण तोड़कर जमीन मुक्त कराई गई।

छत्रीपुल के समीप जेसीबी से निर्माण तोड़कर कब्जा हटाया गया। ● नईदुनिया

नजूल भूमि का बोर्ड लगाते हुए कर्मचारी।

इधर, तहसीलदार के नोटिस पर सुरेंद्र ललवानी द्वारा दिए गए जवाब में बताया गया कि मौके पर अजीत लालवानी नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता है। पिता स्व. रमेशचंद्र ललवानी का नाम दस्तावेजों में है। वे 40 वर्षों से यहां व्यवसाय कर रहे हैं। 8800 वर्गफीट जमीन नजूल की है। 17 अप्रैल 1998 को कलेक्टर नजूल के अनुसार उक्त भूमि कथित वक्फ बोर्ड की नहीं है। गुमराह कर शासन की संपत्ति हथियाने के लिए सुनियोजित तरीके से सूचना पत्र दिलवाया गया है। सुरेंद्र ललवानी ने कहा कि नजूल की भूमि है। धारणाधिकार में आवेदन दिया हुआ है। नई.

मौके पर तीखी बहस के बाद कार्रवाई

सुबह करीब 11 बजे जेसीबी, निगम के वाहन लेकर एसडीएम अभिषेक गेहलोत, तहसीलदार रतलाम शहर गोपाल सोनी, सीएसपी हेमंत चौहान, स्टेशन रोड थाना टीआइ किशोर पाटनवाला, निगम कार्यपालन यंत्री सुरेशचंद्र व्यास सहित बड़ी संख्या में पुलिस व निगम कर्मचारी मौके पर पहुंचे। भागवत कथा आयोजन को लेकर कोई विवाद न हो, इसके लिए पुलिस बल लगाने के साथ ही छत्रीपुल मार्ग पर आवाजाही भी बंद करा दी गई। कार्रवाई को लेकर मौके पर प्रशासन व पुलिस अधिकारियों की सुरेंद्र जैन से तीखी बहस भी हो गई। इसके बाद कथा पंडाल को छोड़कर शेष हिस्से में बनी बाउंड्रीवाल व अन्य निर्माण तोड़ दिए। पास में सर्विस सेंटर व पतरों से किया गया अन्य लोगों का अतिक्रमण भी हटाया गया।

नईदुनिया 5/12/21

8 हजार वर्गफीट से अधिक सरकारी भूमि करवाई मुक्त

कार बाजार पर चली प्रशासन की जेसीबी, हटाया कब्जा

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. शहर के छत्रीपुल स्थित कार बाजार क्षेत्र पर शनिवार को प्रशासन और नगर निगम की नजर पड़ गई। दोनों विभागों के अमले ने यहां बड़ी कार्रवाई करते हुए शनिवार को 32 वर्षों से अधिक समय से यहां काम अधिक के अवैध कब्जे को मुक्त करवाया। इस दौरान 8800 वर्गफीट भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त करवाया है। प्रशासन की कार्रवाई दोपहर 12 बजे शुरू हुई जो देर तक चलती रही। इस स्थान पर भागवत कथा का आयोजन भी चल रहा था, जो यथावत जारी रहेगी।

एसडीएम अभिषेक गहलोत ने बताया कि उक्त जमीन नजूल की है। जब दल अवैध कब्जा हटाने मौके पर पहुंचा तो उपस्थित किरायेदारों ने रेहमानी पंचायत की जमीन बताते हुए किराया चिट्ठी बताई। इसके बाद भूमि के स्वामीत्व के दस्तावेज मांगे गए जो दिखाने में कोई भी सफल नहीं हो पाया। इसके बाद जेसीबी की सहायता से एक-एक करके बने हुए सभी अवैध अतिक्रमण धराशाही कर दिए गए।

पत्रिका

देखने के लिए उमड़ी भीड़

प्रशासन व नगर निगम की कार्रवाई को देखने के लिए आसपास सहित बाजार क्षेत्र से भी बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। कार्रवाई के दौरान सभी को दूर रहने व मास्क लगाने की हिदायत भी दी गई। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने कहा है कि यह जमीन नगर निगम को उपयोग के लिए दी जा रही है। निगम इस स्थान का उपयोग करेगा। एसडीएम अभिषेक गहलोत, सीएसपी हेमंत चौहान, तहसीलदार गोपाल सोनी, थाना प्रभारी किशोर पाटनवाला, नगर निगम का राजस्व व लोकनिर्माण विभाग का अमला व पुलिस बल मौजूद था। अवैध कब्जे हटाने के दौरान निगम के उपयंत्री मनीष तिवारी निर्देश देते रहे।

प्रशासन ने मेरे खिलाफ द्वेष्ता पूर्ण कार्रवाई की है। शासन की जमीन थी तो मैं भी देने के लिए तैयार था लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति को नोटिस दिया गया जबकि आसपास लोगों ने शासन की भूमि पर कब्जा कर उसे किराए पर दे दिया है और किराया वसूल रहे हैं।

पत्रिका 5/12/21

स

र तेजसिंह की जमानत अर्जी न्यायालय ने खारिज की

पत्रिका कोर्ट न्यूज

तेजसिंह के खिलाफ स्टेशन रोड पुलिस ने दर्ज किया था धोखाधड़ी का केस

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. ऊंकाला रोड पर अवैध कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजर तेजसिंह पिता शंभूसिंह धबाई 71 की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार गुप्ता ने खारिज कर दी है। धबाई की तरफ से निगम द्वारा दर्ज कराए गए स्टेशन रोड पुलिस थाने में धोखाधड़ी के केस के विरुद्ध 2 दिसंबर को जमानत आवेदन लगाया था। जमानत आवेदन पर शनिवार को सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने लोक अभियोजक विमल छिपानी के तर्क से सहमत होकर जमानत अर्जी खारिज कर दी।

यह दिया धबाई के वकील ने तर्क

धबाई के वकील ने कोर्ट मे जमानत आवेदन लगाने के साथ तर्क दिया कि उनके पक्षकार ने यह जमीन काफी पहले मतीन खान पिता मंसूर अली, जुल्फीकार पिता अहमद, नासिर पिता पीर मो. फिरोज पिता मुनीर खान और जावेद पिता अल्ताफ को बेच दी है। इन लोगों ने बटांकन और नामांतरण नही करवाया। इसके अलावा वकील ने कहा कि उनके पक्षकार काफी वृद्ध है और वे कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित हैं। जमीन बेचने के बाद उनका उक्त जमीन से कोई संबंध नहीं है।

सरकारी वकील ने यह दिया तर्क

लोक अभियोजक विमल छिपानी ने जमानत आवेदन खारिज करने का निवेदन करते हुए कोर्ट से कहा कि अवैध कालोनियां काटने वालों के खिलाफ प्रशासन व नगर निगम की कार्रवाई चल रही है। अभी केवल एफआईआर दर्ज की गई है इस मामले में अभी विवेचना की जाना है। इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती है। कालोनी काटने से पहले न तो लाइसेंस लिया गया और न ही नगर तथा ग्राम निवेश से अभिन्यास स्वीकृत कराया गया है। ऐसा करके धोखाधड़ी की गई है।

पत्रिका

विदेश से आने वालों को सात दिन के लिए होम आइसोलेशन में रखेंगे

ओमिक्रान को लेकर अलर्ट, जिले में स्वास्थ्य अमला करेगा स्क्रीनिंग

सैमलिया में युवा को टीका लगाती हुई स्वास्थ्य कार्यकर्ता। ●नईदुनिया

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रोन को लेकर जिले में अलर्ट जारी हो गया है। विदेश से आने वाले लोगों पर पैनी नजर रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदेश स्तर से शासन ने शनिवार को निर्देश जारी किए हैं, कि एक दिसंबर के बाद यदि जिले में कोई व्यक्ति विदेशों की यात्रा करके आया है, तो उसकी कोरोना जांच कराई जाए।

अब तक भारत सहित 37 देशों में ओमिक्रान के मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग को हाई रिस्क देशों से आने वाले लोगों को तलाशने की जिम्मेदारी दी गई है। इस पर स्वास्थ्य विभाग ने काम भी शुरू कर दिया है।

30 दिसंबर को दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करके जयपुर से रतलाम आने वाला एक व्यक्ति मिला है। जिसका आरटीपीसीआर सैंपल जांच कराया गया और रिपोर्ट निगेटिव आई है। कोरोना जिला नोडल अधिकारी डा. गौरव बोरीवाल ने बताया कि हाई रिस्क देशों से आने वालों के एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर सैंपल लिए जा रहे हैं। इसके बाद जानकारी जिले में आएगी । यहां भी उनकी पूरी जानकारी लेने के बाद सात दिन के लिए होम आइसोलेट किया जाएगा। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम उनके संपर्क में रहेगी। आठवें दिन उनका आरटीपीसीआर सैंपल लेकर जांच की जाएगी। पाजिटिव आने पर इलाज के लिए शिफ्ट कर सैंपल जीनोमसिक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा।

महाअभियान : घर-घर जाकर लगा रहे टीके

सेमलिया। वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के आदेश के बाद घर-घर जाकर बचे हुए लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। आने-जाने वालों को भी रोक-रोककर टीके लगाए जा रहे हैं। वैक्सीनेशन सीएचओ गुंजन सैनी, एएनएम चंदा मुनिया, आशा कार्यकर्ता शीतल, शकुंतला, चंद्राकला, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गुड्डी गोयल, राधा, गीता धबाई, शोभा सोनार्थी, बगदी सोलंकी आदि उपस्थित रहे।

नईदुनिया 5/12/21

छत्री पुल स्थित भूमि पर चली नजूल व नगर निगम की जेसीबी

रतलाम ● स्वदेश समाचार

छत्रीपुल स्थित पतरे के एक शेड को राजस्व विभाग के अमले ने जेसीबी मशीन द्वारा हटा दिया। यह कब्जा भूमि खसरा नंबर 1310, 1311, 1312, 1313, 1314 एवं 2325 नया सर्वे नंबर 117 का रकबा 12 बीघा 9 बीसवा जिसका क्षेत्रफल 8800 वर्गफीट से अधिक भूमि पर था।

न्यायालय तहसीलदार रतलाम द्वारा इस संबंध में 30 नवंबर को सूचना पत्र जारी करते हुए तीन दिन में कब्जा हटाने के निर्देश दिए गए थे। कब्जा न हटाने की दशा में आज अवधि पूरी होने पर राजस्व अमले ने कब्जा हटा दिया। इस दौरान काफी संख्या में राजस्व व नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी व पुलिस बल तैनात किया गया था। यह कार्रवाई 4 घंटे से भी अधिक समय तक चली। यह सूचना पत्र अजीत पिता झमकलाल ललवानी राईट सर्विसेस के नाम पर तहसीलदार द्वारा जारी किया गया था। बताते है कि कब्जा हटाने के लिए नायब तहसीलदार के नेतृत्व में एक टीम का भी गठन किया गया। य[illegible] स्थान कार बाजार के रूप [illegible] उपयोग हो रहा था। इसके निक[illegible] ऑटो डील की दुकान भी थी, जि[illegible] भी हटा दिया गया। बाद में प्रशा[illegible] ने "यह भूमि नजूल की शासक[illegible] भूमि है का बोर्ड भी लगा दिया।

स्वदेश ५/१२/२१

अवैध कालोनी के कालोनाइजर को नहीं मिली अग्रिम जमानत

निगम की रिपोर्ट पर दर्ज किया गया था धोखाधड़ी का प्रकरण

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। नगर निगम प्रशासन द्वारा कालोनाइजरों के खिलाफ अवैध कालोनी निर्माण कराने पर धोखाधड़ी के प्रकरण पुलिस थानों पर दर्ज कराए गए हैं। कुछ कालोनाइजरों के खिलाफ प्रशासन द्वारा जांच की जा रही है। वहीं दर्ज प्रकरणों के आरोपित गिरफ्तारी से बचने के लिए न्यायालय की शरण लेने लगे हैं, लेकिन एक कालोनाइजर को न्यायालय से भी राहत नहीं मिली। अग्रिम जमानत की याचिका न्यायालय ने खारिज कर दी। निगम द्वारा स्टेशन रोड थाना पर प्रतिवेदन दिया था कि आरोपित तेजसिंह पुत्र शंभुसिंह निवासी धभाईजी का वास के खिलाफ द्वारा वार्ड 28 के ऊंकाला रोड क्षेत्र में नगर व ग्राम निवेश विभाग और नगर निगम से अनुमति लिए बगैर सर्वे क्रमांक 1009/3/1 रकबा 1.3870 पर अवैध रूप से भूखंड विभाजित कर अवैध कालोनी का निर्माण किया गया है। राजस्व विभाग, निगम व पुलिस दल द्वारा दो अक्टूबर 2021 को पंचनामा बनाकर सीसी रोड व बाउंड्रीवाल का निर्माण हटाया था। अवैध निर्माण हटाने में प्रयुक्त खर्च की वसूली के लिए तेजसिंह को 30 हजार रुपये जमा कराने का नोटिस 18 नवंबर 2021 को दिया था, लेकिन उसने उक्त राशि भी नगम में जमा नहीं कराई। तेजसिंह ने कालोनाइजर का लाइसेंस प्राप्त किए बगैर भूखंडों का विक्रय कर धोखाधड़ी की है। प्रतिवेदन पर पुलिस ने एक दिसंबर को तेजसिंह के खिलाफ भादवि की धारा 420 में प्रकरण दर्ज किया था। जानकारी के अनुसार तेजसिंह की तरफ से जिला एवं सत्र न्यायालय (जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार गुप्ता) में अग्रिम जमानत के लिए याचिका पेश की गई थी। तेजसिंह की तरफ से न्यायालय को बताया गया कि उसे झूठा फंसाया गया है। उसके द्वारा काटी गई कालोनी पूरी तरह विकसित है। जिस भूमि के संबंध में उसे नगर निगम ने नोटिस दिया, उक्त भूमि से उसका कोई संबंध नहीं है। उसे अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाए। वहीं शासन की तरफ से लोक अभियोजक विमल छिपानी ने तेजसिंह की याचिका निरस्त करने का निवेदन किया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने याचिका निरस्त कर दी।

नईदुनिया 5/12/21

5 दिसम्बर तक दावे और आपत्ति आमंत्रित

रतलाम। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1 जनवरी 2022 के मान से फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2022 का प्रारूप प्रकाशन 01 नवम्बर को किया जा चुका है। आयोग के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 1 नवम्बर से 5 दिसम्बर 2021 तक दावे और आपत्ति दर्ज करने की तिथि निर्धारित है। इस अवधि में ऐसे मतदाता जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। अपना नाम क्षेत्र बी.एल.ओ. से फार्म प्राप्त कर अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते है। 18 वर्ष पूर्ण करने वाले मतदाता अपना नाम जुड़वाने के लिए प्राप्त सुविधा का लाभ उठाये। इसके लिए बी.एल.ओ. के माध्यम से फॉर्म 6 भर सकते है। जिले के प्रत्येक मतदान केन्द्रों पर 01 नवम्बर से 5 दिसम्बर 2021 तक फोटो मतदाता सूची प्रदर्शित की जाएगी। इसे देखकर मतदाता यह सुनिश्चित कर सकते है की मतदाता का नाम मतदाता सूची में है या नही। यदि है तो उसमें कोई गलती तो नही है। यदि कोई गलती है तो फॉर्म 8 भरकर गलती को सुधरवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त नए वोटर कार्ड के लिए फार्म 6 भरकर उसके अपने पता आयु संबंधी दस्तावेज संलग्न कर वे बी.एल.ओ. को जमा करें। इसी प्रकार बी.एल.ओ. मतदाता को नवीन परिचय पत्र तैयार कराकर देंगे। साथ ही ऐसे मतदाता जो नाम संबंधी का नाम आयु एवं पता में संशोधन कराना चाहता है, वह फार्म-8 भरकर सुधार संबंधी आवश्यक दस्तावेज लगाकर संशोधन कराये जाने हेतु फॉर्म-8 बी.एल.ओ. को जमा कर सकता है। जो मतदाता अन्य जगह चले गये है वह मतदाता सूची से नाम हटवाने हेतु फार्म-7 भरकर दे सकते है और ऐसे मतदाता जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके परिवार से बी.एल.ओ. नोटिस देकर हटाने की कार्यवाही कर सकता है। जिले के ऐसे मतदाता जिनका नाम मतदाता सूची में नही है और वे पात्र है, से आग्रह किया है कि वे अपना नाम जुड़वाने अथवा किसी प्रकार का संशोधन कराने अथवा हटाने संबंधी आवेदन बी.एल.ओ. को जमा कराएं। प्रसारण

प्रसारण 5/12/21

कॉलोनियों की खेती • ऊंकाला रोड के कॉलोनाइजर तेजसिंह की अग्रिम जमानत खारिज

कॉलोनी काटने वाले आशीर्वाद डेवलपर्स के दोनों पार्टनरों पर केस

खरीदार बोले : पहले से ही यहां पर सड़क व बाउंड्रीवाल बनी थी

भास्कर संवाददाता | रतलाम

नगर निगम ने धोलावड़ रोड पर अवैध कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ दीनदयाल नगर थाना पुलिस द्वारा दर्ज की एफआईआर में आशीर्वाद डेवलपर्स के दो पार्टनरों के नाम जुड़ गए हैं। इनमें पहला नाम पंकज बर्डिया और दूसरा राकेश कोठारी का है। दोनों पार्टनरों द्वारा कॉलोनी काटने के बाद भूखंड बेचे थे। कार्रवाई के वक्त हुई जांच में मूल विक्रेता आशीर्वाद डेवलपर्स के पार्टनरों के नाम छूट गए थे। रिकॉर्ड चेक करने के बाद नगर निगम ने दर्ज कराई एफआईआर में इनका नाम जोड़ने के लिए डीडी नगर थाने को प्रतिवेदन दे दिया है। इस पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। उधर ऊंकाला रोड पर अवैध कॉलोनी बनाने वाले कॉलोनाइजर तेज सिंह धभाई की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने शनिवार को खारिज कर दी है।

दरअसल धोलावड़ रोड की कॉलोनी का निर्माण तोड़ने के बाद जिन चार लोगों पर नगर निगम ने एफआईआर कराई है, उन्होंने आशीर्वाद डेवलपर्स से ही जमीन खरीदी थी। इस संबंध में कॉलोनी में जमीन खरीदने वाले अनिल राजेश कटकानी, पंकज श्रीमाल, सुमित गांधी, अरुण कुमार विजेंद्र कुमार पितलिया आदि ने कलेक्टर, एसपी और निगम आयुक्त को आवेदन देकर जानकारी दी थी। इसमें खरीदारों ने बताया कि 2019 में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर भूखंड खरीदे थे। बाउंड्रीवॉल और सड़क पहले से बनी हुई थी। हमने किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया। आशीर्वाद डेवलपर्स को मूल विक्रेता बताते हुए प्लॉट खरीदारों ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं करने की बात कही थी। नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया मूल विक्रेता पंकज बर्डिया और राकेश कोठारी का नाम एफआईआर में जोड़ने के लिए पुलिस को लेटर भेज दिया है। एफआईआर भी दर्ज हो गई है। उधर डीडी नगर थाना प्रभारी शिवमंगल सिंह सेंगर ने बताया एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई चल रही है। निगम का प्रतिवेदन तो मिल गया है, लेकिन कुछ दस्तावेज बाकी है।

प्रशासन की अनुमति नहीं ली, बिना डायवर्शन कराए कॉलोनी काटकर बेच दिए गए थे प्लॉट

शनिवार को बिना अनुमति और डायवर्शन कराए ऊंकाला रोड पर अवैध कॉलोनी बनाकर प्लॉट बेचने वाले कॉलोनाइजर तेजसिंह धभाई की अग्रिम जमानत अर्जी प्रधान जिला जज राजेशकुमार गुप्ता ने खारिज कर दी। नगर निगम के इंजीनियर मनीष तिवारी के प्रतिवेदन पर 1 दिसंबर को स्टेशन रोड थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया था। इस पर तेजसिंह पिता शंभू सिंह धभाई निवासी धभाईजी का वास के वकील ने ने विवादित भूमि से कोई संबंध नहीं होना बताकर अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में आवेदन दिया था। लोक अभियोजक विमल छिपानी ने बताया सर्वे नंबर 1009/3/1 की 1.387 हेक्टेयर भूमि को नगर तथा निवेश विभाग तथा नगर निगम से अनुमति प्राप्त किए बगैर भूखंड के रूप में विभाजित कर कॉलोनी का निर्माण किया गया। इतना ही नहीं नादिर

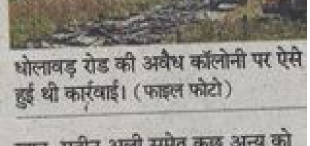

धोलावड़ रोड की अवैध कॉलोनी पर ऐसे हुई थी कार्रवाई। (फाइल फोटो)

खान, मतीन अली समेत कुछ अन्य को अवैध रूप से भूखंड भी बेच दिए। 2 अक्टूबर को अवैध निर्माण हटाने के बाद नगर निगम ने खर्च की वसूली के लिए तेजसिंह धभाई को 30 हजार रुपए जमा करवाने का नोटिस दिया। यह राशि भी अब तक जमा नहीं करवाई गई है। इसलि लोक अभियोजक छिपानी ने विवेचना पूरी नहीं होने का तर्क देकर अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त करने की मांग की थी। इस पर कोर्ट ने आवेदन निरस्त कर दिया।

दै. भास्कर 5/12/21